कार्रवाई

50 स्थान पर चल रहे कचरा स्थल

फॉलोअप

पत्रिका

प्रकाशित खबर।

जारी होंगे 10 हजार के जुर्माने के नोटिस

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. शहर में नगर निगम क्षेत्र में 50 स्थान पर कचरा स्थल बने हुए है। इन खाली भूमि वाले क्षेत्र के कचरा स्थल पर अब भूमि स्वामियों को 10 - 10 हजार रुपए दंड के नोटिस मंगलवार से जारी होंगे। निगम ने यह निर्णय सोमवार को स्वच्छता अभियान को लेकर आयोजित बैठक में लिया है।

कुछ दिन पूर्व जब निगम की बैठक हुई थी तब वार्ड के अधिकारियों ने आयुक्त सोमनाथ झारिया को बताया था कि शहर में एक भी कचरा स्थल नहीं है। ऐसे में पत्रिका ने कचरा स्थल के फोटो के साथ हकीकत बताई थी। इसके बाद निगम आयुक्त झारिया ने देर शाम को तरणताल में बैठक की व साफ निर्णय सुना दिया कि जो 50 स्थल कचरा स्थल के सामने आए है, उन सभी भूमि के स्वामियों पर 10 हजार रुपए जुर्माने का नोटिस जारी करके एक सप्ताह में वसूली की जाए।

पत्रिका 22/2/22

निगम की भूमि हुई निजी के नाम

रतलाम. वर्ष 1970 में गंगासागर क्षेत्र में नगर निगम ने चार हेक्टेयर भूमि की खरीदी की थी। सरकारी रिकार्ड में यह भूमि निगम के ही नाम थी। दस्तावेज में हेरफेर इतनी हुई कि निगम ने उस सरकारी भूमि को निजी लोगों के नाम कर दिया। शिकायत सामने आने के बाद कलेक्टर ने पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए है।

गंगासागर क्षेत्र में निगम के अधिकार वाली भूमि निजी लोगों के नाम हो गई। इस भूमि की बाजार कीमत करीब 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मामले में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम को शिकायत हुई। इसके बाद कलेक्टर व निगम प्रशासक कुमार ने निगम से दस्तावेज बुलाकर देखें। इसके बाद अब पूरे मामले में जांच के आदेश जारी कर दिए है।

पत्रिका

पत्रिका 22/2/22

प्लॉटों पर कचरा मिला तो मालिक से वसूलेंगे जुर्माना

रतलाम | नगर निगम शहर के ऐसे प्लॉट मालिकों को नोटिस देकर जुर्माना वसूलेगा जो गंदगी से पटे होकर कचरा स्थल बने हुए हैं। आयुक्त सोमनाथ झारिया ने ऐसे सभी भूखंड स्वामी को दस हजार रुपए का जुर्माना भरने के नोटिस दिए हैं। जिम्मेदारी प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी सत्यप्रकाश आचार्य को सौंपी है।

सोमवार को आयुक्त ने स्वच्छ सर्वेक्षण के कार्यों का अपडेट लिया। निर्धारित मापदंड के विपरीत पॉलीथिन व सिंगल यूज प्लास्टिक बनाने और बेचने वालों पहले जुर्माने की कार्रवाई की जाए। बावजूद इसके नहीं मानने पर फैक्टरी व दुकान सील करने की कार्रवाई की जाए। उपायुक्त विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री सुरेशचंद्र व्यास, सहायक यंत्री श्याम सोनी, इंजीनियर अनवर कुरैशी, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह आदि मौजूद रहे। भास्कर

दै. भास्कर 22/2/22

12 सफाई मित्रों का एक दिन का वेतन काटा

रतलाम | सोमवार को सफाई व्यवस्था से 12 कर्मचारी बिना बताए गैरहाजिर रहे। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद आयुक्त सोमनाथ झारिया ने एक दिन का वेतन काटने के आदेश दिए हैं। सुबह की शिफ्ट के 11 और दोपहर की शिफ्ट का एक कर्मचारी शामिल है। इसमें जोन एक के 9, जोन दो के 3 कर्मचारी है। सभी को बर्खास्तगी का नोटिस भेजा है। आयुक्त ने कहा कि तीन दिन अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारी को सीधे सेवा से हटा दियाजाएगा।

दै. भास्कर 22/2/22

बगैर सूचना गायब, पगार काटी

रतलाम, नप्र। कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर वार्डों में स्वच्छता पर्यवेक्षण के लिए नियुक्त पर्यवेक्षकों ने वार्डों में सुबह एवं दोपहर की पाली में सफाई मित्रों की हाजिरी को चेक किया। जिसके तहत सुबह छह तथा दोपहर में दो सफाई मित्र बिना सूचना के काम पर नहीं मिले। निगम आयुक्त के निर्देश पर संबंधित का एक व आधे दिन का वेतन काटा जाकर सूचनापत्र जारी करने को कहा।

प्रभातकिरण 21/2/22

कल प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को करेंगे लाभ वितरण

रतलाम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 23 फरवरी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को दिए जाने वाले लाभ वितरण कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में बैठक हुई। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बैठक में बताया कि गुलाब चक्कर में कार्यक्रम होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत 0 वेस्ट की थीम पर आयोजित होना है। इस हेतु कार्यक्रम में आने वाले नागरिकों हितग्राहियों कपड़े से बने थैले का वितरण किया जाये। कार्यक्रम में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम स्वच्छता थीम पर आधारित हो साथ ही कार्यक्रम में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की थीम पर चित्रकला व स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की जाकर विजेताओं को पुरस्कृत किया जाये।

दबंग दुनिया 22/2/22

प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री करेंगे लाभ वितरण कल

निगम आयुक्त ने आयोजित कार्यक्रम की तैयारियों हेतु ली बैठक

रतलाम ● स्वदेश समाचार

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा 23 फरवरी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को दिए जाने वाले लाभ वितरण कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने निगम अधिकारियों की बैठक लेकर सभी तैयारियां समय पर पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए।

श्री झारिया ने बताया कि 23 फरवरी को मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को दिए जाने वाले लाभ वितरण व संवाद का कार्यक्रम पुराने कलेक्ट्रेट स्थित गुलाब चक्कर में आयोजित किया जाना है।

उन्होंने निर्देशित किया कि उक्त आयोजित कार्यक्रम स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत 0 वेस्ट की थीम पर आयोजित होना है। इस हेतु कार्यक्रम में आने वाले नागरिकों हितग्राहियों कपड़े से बने थैले का वितरण किया जाए साथ ही 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलिथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित किए जाने का व्यापक प्रचार प्रसार के साथ ही एसटीपी में ट्रीटेड किए गए पानी के रियूज का भी प्रचार-प्रसार किया जाए।

श्री झारिया ने निर्देशित में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम स्वच्छता थीम पर आधारित हो साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की थीम पर चित्रकला व स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की जाकर विजेताओं को पुरस्कृत किया जाए।

उपायुक्त विकास सोलंकी, सहायक यंत्री श्याम सोनी, प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी सत्यप्रकाश आचार्य, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह, उपयंत्री राजेश पाटीदार, सुश्री दीक्षा निजामपुरकर, झोन प्रभारी किरण चौहान, विनय चौहान, धर्मेन्द्र दोगाया, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसेडर अनुज शर्मा, श्रीमती दिव्या पाटीदार, नवोदित बैरागी आदि उपस्थित थे।

सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में निगम प्रदेश में नम्बर-1 बना

रतलाम ● नगर निगम से संबंधित सीएम हेल्पलाइन पर नागरिकों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों के निराकरण में रतलाम नगर निगम को प्रदेश में लगातार दूसरी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण के तहत नगर निगम रतलाम 716 शिकायतें निराकरण में संतुष्टि के साथ बंद शिकायतों का वेटेज 47.28 (50 प्रतिशत) 100 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों का वेटेज 9.33 (10 प्रतिशत), निम्न गुणवत्ता से बंद शिकायतों का वेटेज 9.66 (10 प्रतिशत), नोट अटेंडेट शिकायतों का वेटेज 10 (10 प्रतिशत), मान्य/अमान्य शिकायतों का वेटेज 10 (10 प्रतिशत), लंबित शिकायतों की संख्या में कमी का वेटेज 7.5 (10 प्रतिशत) तथा कुल वेटेज स्कोर 93.77 प्राप्त कर प्रदेश में नम्बर 1 बना। सीएम हेल्प लाइन शिकायतों निराकरण में नगर निगम रतलाम को प्रदेश में लगातार दूसरी बार प्रथम स्थान प्राप्त होने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों को बधाई प्रेषित की।

स्वदेश

स्वदेश २२/२/२२

मुख्यमंत्री जी 23 फरवरी को प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को करेंगे लाभ वितरण

रतलाम । माननीय मुख्यमंत्रीजी श्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा 23 फरवरी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को दिये जाने वाले लाभ वितरण कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम अधिकारियों की बैठक लेकर सभी तैयारियां समय पर पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये। आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि 23 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्रीजी श्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को दिये जाने वाले लाभ वितरण व संवाद का कार्यक्रम पुराने कलेक्ट्रेट स्थित गुलाब चक्कर में आयोजित किया जाना है। आयोजित कार्यक्रम हेतु टेन्ट, मंच, बैठक आदि व्यवस्था समय पूर्व पूर्ण की जाये साथ ही कार्यक्रम स्थल पर हितग्राहियों को लाने की व्यवस्था भी की जाये।

बैठक में उन्होंने निर्देशित किया कि उक्त आयोजित कार्यक्रम स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत थ्रीआरस्ट की थीम पर आयोजित होना है इस हेतु कार्यक्रम में आने वाले नागरिकों हितग्राहियों कपड़े से बने थैले का वितरण किया जाये साथ ही 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित किये जाने का व्यापक प्रचार प्रसार के साथ ही एसटीपी में ट्रीटेड किये गये पानी के रियूज का भी प्रचार-प्रसार किया जाये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि आयोजित कार्यक्रम में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम स्वच्छता थीम पर आधारित हो साथ ही कार्यक्रम में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की थीम पर चित्रकला व स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की जाकर विजेताओं को पुरस्कृत किया जाये।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री सत्यप्रकाश आचार्य, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, उपयंत्री श्री राजेश पाटीदार, सुश्री दीक्षा निजामपुरकर, झोन प्रभारी सर्वश्री किरण चौहान, विनय चौहान,, धर्मेन्द्र दोगाया, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसेडर श्री अनुज पर्मा, श्रीमती दिव्या पाटीदार, श्री नवोदित बैरागी आदि उपस्थित थे।

स्वतंत्र लोक २२/२/२२

100 मॉईक्रान से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रतिबंधित

रतलाम । रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 100 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक (प्लास्टिक स्टीक सहित ईयर बर्ड, बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक झण्डे, कैंडी स्टिक, आईस्क्रीम स्टीक, सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकोल, प्लास्टिक प्लेट्स, कप, ग्लास, फोर्क, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, टेऊ स्वीट बाक्स, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट को कव्हर करने वाली पैकिंग फिल्म, प्लास्टिक स्टिर्रस व 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीवीसी के बैनर) के उपयोग को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देषानुसार पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है।

रतलाम नगर के समस्त प्लास्टीक (पॉलीथीन) निर्माता, भण्डारकर्ता, विक्रेता, दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एवं ना ही भण्डारण, विक्रय तथा उपयोग करें। उपरोक्त का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छ, सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।

स्वतंत्र लोक 22/2/22

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी। वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पूर्ण निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी। स्वतंत्र

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

रतलाम । शहर की मुख्य सड़क सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जावेगी। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलों को निर्देषित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जाये। स्वतंत्र

सीएम हेल्प लाईन शिकायतों के निराकरण में नगर निगम रतलाम 93.77 वेटेज स्कोर प्राप्त कर लगातार दूसरी बार बना प्रदेश में नम्बर-1

रतलाम । नगर निगम से संबंधित सीएम हेल्प लाईन पर नागरिकों द्वारा दर्ज कराई गई षिकायतों के निराकरण में रतलाम नगर निगम को प्रदेष में लगातार दूसरी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। सीएम हेल्प लाईन में दर्ज षिकायतों के निराकरण के तहत नगर निगम रतलाम 716 षिकायतें निराकरण में संतुश्टि के साथ बंद षिकायतों का वेटेज 47.28 (50 प्रतिषत) 100 दिवस से अधिक लंबित षिकायतों का वेटेज 9.33 (10 प्रतिषत), निम्न गुणवत्ता से बंद षिकायतों का वेटेज 9.66 (10 प्रतिषत), नोट अटेडेंट षिकायतों का वेटेज 10 (10 प्रतिषत), मान्य/अमान्य षिकायतों का वेटेज 10 (10 प्रतिषत), लंबित षिकायतों की संख्या में कमी का वेटेज 7.5 (10 प्रतिषत) तथा कुल वेटेज स्कोर 93.77 प्राप्त कर प्रदेष में नम्बर 1 बना सीएम हेल्प लाईन षिकायतों निराकरण में नगर निगम रतलाम को प्रदेष में लगातार दूसरी बार प्रथम स्थान प्राप्त होने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों को बधाई प्रेशित की।

स्वतंत्र चेतना 22/2/22

शिकायत दूर करने में निगम अव्वल

रतलाम, नप्र। नगर निगम से संबंधित सीएम हेल्पलाइन पर लोगों की ओर से दर्ज कराई गई शिकायतों को दूर करने में रतलाम नगर निगम को लगातार दूसरी बार प्रदेश में अव्वल स्थान मिला है। जानकारी के मुताबिक सात सौ शिकायतों के निराकरण में संतुष्टि के बाद बंद शिकायतों का वेटेज 47.28, 100 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों का वेटेज 9.33 तथा निम्न गुणवत्ता से बंद शिकायतों का वेटेज 9.66, नोट अटेडेंट शिकायतों का वेटेज 10, लंबित षिकायतों की संख्या में कमी का वेटेज 7.5 रहा। इस तरह कुल वेटेज स्कोर 93.77 हासिल कर रतलाम नगर निगम प्रदेश में नम्बर वन बना। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि आगे भी इसी प्रकार काम कर रतलाम नगर निगम को पहले पायेदान पर बनाए रखें। प्रा.की.21

प्रभातकिरण 21/2/22

कचरे से भरी बावड़ी में गिरी महिला, स्थानीय लोगों की मदद से फायर ब्रिगेड की टीम ने किया रेस्क्यू

सिंघम रिपोर्टर ☐ रतलाम

मीराकुटी क्षेत्र में आज एक महिला अचानक से बावड़ी में गिर गई। बावड़ी में पानी अधिक नहीं होने से महिला डूबी नहीं लेकिन कचरे और कीचड़ के दलदल में फंस गई। महिला के बावड़ी में गिरने पर आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई क्षेत्रीय पार्षद भगत सिंह भदोरिया ने फायर ब्रिगेड को बुलवाकर स्थानीय लोगों के साथ महिला महिला को सुरक्षित बाहर निकाला और उसे उसके घर तक पहुंचाया है।

घटना रविवार दोपहर की है। जहां मीराकुटी स्थित बावड़ी में एक महिला अचानक से गिर गई जिससे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। महिला कचरा और कीचड़ के दलदल में फंसती जा रही थी लेकिन लोगों ने समय रहते फायर ब्रिगेड को कॉल कर महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार महिला कचरा फेंकने के लिए बावड़ी के पास पहुंची थी तभी अचानक संतुलन बिगड़ने पर वह बावड़ी में गिर गई। हालांकि स्थानीय लोगों की सूझबूझ से महिला की जान बच गई।

सिंघम - २१/१२/२२

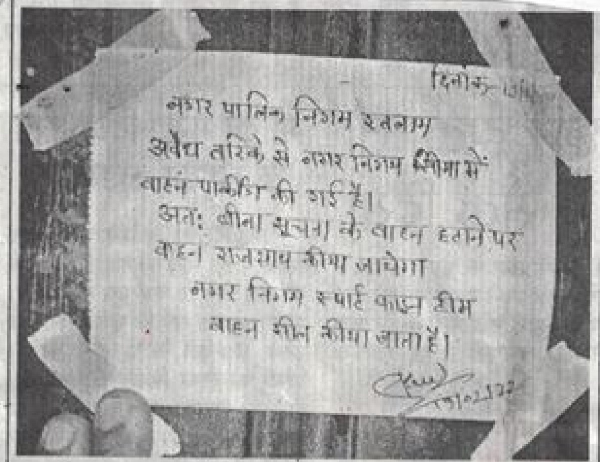

मलबा डालने पर पांच हजार का जुर्माना निगम की जमीन पर खड़ी दो बसें जब्त

रतलाम, नप्र। शहर को सुंदर बनाने के लिए नगर निगम की जुर्माना वसूलने वाली टीम ऐसे लोगों पर जुर्माना कर रही है, जो या तो खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा कर रहे है या फिर सड़क पर मलबा डालकर कब्जा कर रहे है। कल ही नगर निगम की मौके पर जुर्माना करने वाले दल ने राम मंदिर क्षेत्र में मोहित लोखण्डवाला पर पांच हजार का जुर्माना किया। यह जुर्माना मलबा डालने और गंदगी करने पर किया। इसके अलावा इस टीम ने कल निजी बसों को सील कर जब्त किया है। नगर निगम स्पॉट फाईन टीम ने पाया कि ये दोनों निजी बसें नगर निगम की स्वामित्व की जमीन पर अवैध तरीके से खड़ी कर रखी थी इस पर टीम ने वाहन सील की कार्रवाई की।

जुर्माना वसूली दल ने नागरिकों से अनुरोध किया कि शहर को साफ-स्वच्छ सुंदर बनाने में अपना योगदान देकर बंद की गई प्लास्टिक की थैलियों की उपयोग ना कर नगर निगम के स्वच्छता अभियान में अपना सहयोग दें।

प्रभातकिरण 2/2/22

गंगासागर क्षेत्र में हथियाई गई 50 करोड़ रुपए भूमि पुनः नगर निगम के नाम होगी

भू-माफियाओं के विरुद्ध जिले में कार्रवाई लगातार जारी

रतलाम। शहर के गंगासागर क्षेत्र में भू-माफिया द्वारा हथियाई गई लगभग 50 करोड़ रुपए की भूमि पुन: नगर निगम के नाम होगी। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा रतलाम जिले में भू-माफियाओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं और बेशकीमती जमीन वापस ली जा रही है। एक और प्रकरण में रतलाम के गंगासागर क्षेत्र में किसी भू-माफिया द्वारा नगर निगम की लगभग 4 हेक्टेयर भूमि अपने नाम करा ली गई थी जिसकी जांच के आदेश कलेक्टर द्वारा दिए गए हैं। कार्यवाही के साथ उक्त भूमि पुन: नगर निगम के नाम की जाएगी।

आनंद कॉलोनी रोड़ से लगी भूमि से अतिक्रमण हटाया गया

रतलाम। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर जिले में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के तहत सोमवार को रतलाम शहर की आनंद कॉलोनी से लगी कालिका माता मंदिर की भूमि पर से अतिक्रमण हटाया गया। शासकीय अमला प्रात: स्थल पर पहुंचा और अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। भूमि का मूल्य लगभग डेढ़ से 2 करोड रूपए है। प्रसारण

प्रसारण 22/2/22

निगम की भूमि हुई निजी के नाम, कलेक्टर को हुई शिकायत

पत्रिका

रतलाम. वर्ष 1970 में गंगासागर क्षेत्र में नगर निगम ने चार हेक्टेयर भूमि की खरीदी की थी। सरकारी रिकार्ड में यह भूमि निगम के ही नाम थी। दस्तावेज में हेरफेर इतनी हुई कि निगम ने उस सरकारी भूमि को निजी लोगों के नाम कर दिया। शिकायत सामने आने के बाद कलेक्टर ने पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। गंगासागर क्षेत्र में निगम के अधिकार वाली भूमि निजी लोगों के नाम हो गई। इस भूमि की बाजार कीमत करीब 50 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मामले में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम को शिकायत हुई। कलेक्टर व निगम प्रशासक कुमार ने दस्तावेज बुलाकर देखें। अब पूरे मामले में जांच के आदेश जारी कर दिए हैं।

पत्रिका 22/2/22

तीन माह पहले दिए चेक खातों में राशि नहीं पहुंची

रतलाम। जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय सलाहकार समिति की बैठक में सोमवार को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने समीक्षा के दौरान सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की विभिन्न शाखाओं द्वारा शासकीय योजनाओं में प्रकरणों की स्वीकृति नहीं देने, वितरण नहीं करने पर सख्त नाराजगी जाहिर की।

कलेक्टर ने कहा कि सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के चेयरमैन तथा जनरल मैनेजर को पत्र लिखा गया है। इसमें रतलाम जिले की शाखाओं द्वारा शासकीय योजनाओं में उदासीनता और अरुचि की जानकारी दी गई है। सेंट्रल बैंक आफ इंडिया चेयरमैन 13 नवंबर 2021 को रतलाम आए थे। उनके द्वारा मंच से वितरित चेक की राशि भी हितग्राहियों के खातों में अब तक नहीं पहुंची है। शासकीय योजनाओं के प्रकरणों की बड़ी संख्या में पेंडेंसी बनी हुई है।

बैठक में कलेक्टर ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पूर्व में बैंक द्वारा निरस्त किए गए लगभग डेढ़ हजार प्रकरणों को पुनः बैंकों में लगाने व स्वीकृति देने के निर्देश बैंकर्स को दिए। कलेक्टर ने कहा कि बैंकर्स अनावश्यक रूप से प्रकरणों को निरस्त नहीं कर सकते। बैंकर्स अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को समझें और निभाएं। बैंक महिलाओं को सशक्त बनाने की मुहिम में समान रूप से सहभागी बनें।

9648 करोड रुपये के ऋण बांटेंगे

बैठक में वर्ष 2022-23 के वार्षिक क्रेडिट प्लान का अनुमोदन किया गया। प्लान में 9648 करोड रुपये के ऋण विभिन्न सेक्टर में उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। 25 फरवरी को जिला मुख्यालय पर रोजगार दिवस कार्यक्रम में अधिकाधिक बैंकिंग सहभागिता के संबंध में कलेक्टर ने बैठक में चर्चा की। बताया गया कि रोजगार दिवस में लगभग 10 हजार हितग्राहियों को 54 करोड़ रुपये बैंक ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। नई.

नईदुनिया 22/2/22

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी ने जिनको लोन के चेक बांटे उनके अकाउंट में तीन महीने बाद भी नहीं पहुंची राशि

कलेक्टर बैंक की व्यवस्थाओं से नाराज, चेयरमैन और जनरल मैनेजर को लिखा पत्र

भास्कर संवाददाता | रतलाम

जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय सलाहकार समिति की बैठक सोमवार को हुई। कलेक्टर कुमार पुरुषोतम ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की विभिन्न शाखाओं द्वारा शासकीय योजनाओं में प्रकरणों की स्वीकृति नहीं देने, लोन वितरण नहीं करने पर सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन तथा जनरल मैनेजर को पत्र लिखा। सेंट्रल बैंक आफ इंडिया शाखाओं द्वारा शासकीय योजनाओं में प्रकरणों की स्वीकृति में बढ़ती जा रही उदासीनता और अरुचि की जानकारी देते हुए कार्रवाई की बात कही है।

कलेक्टर ने बैठक ने कहा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एमडी, सीईओ जब रतलाम आए थे और उनके द्वारा मंच से जो चेक वितरण किए थे उनकी राशि हितग्राहियों के खातों में नहीं पहुंची है। यह अत्यंत खेदजनक है। सेंट्रल बैंक शाखाओं में शासकीय योजनाओं के प्रकरणों की बड़ी संख्या में पेंडेंसी है। बैठक में कलेक्टर ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत पूर्व में बैंक द्वारा निरस्त किए डेढ़ हजार प्रकरणों को पुनः बैंकों में लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्हें स्वीकृति देने के निर्देश बैंकर्स को दिए। पीएम स्वनिधि आम आदमी की भलाई की महत्वाकांक्षी योजना है इसका अधिकाधिक लाभ गरीब वर्ग को दिलाना है। बैंकर्स अनावश्यक रूप से प्रकरणों को निरस्त नहीं कर सकते। रोजगार दिवस में 10 हजार हितग्राहियों को 54 करोड़ रुपए बैंक ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट आउटरीच के तहत 143.36 करोड़ रुपए के लोन बांटे थे

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी तथा सीईओ एमवी राव, बैंक के फील्ड जनरल मैनेजर एसडी माहुरकर नवंबर 2021 में रतलाम आए थे। यहां बरबड़ रोड स्थित विधायक सभागृह में क्रेडिट आउटरीच अभियान के तहत मेगा कैंप हुआ था। इसमें शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों को 143.36 करोड रुपए के ऋण विभिन्न बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए। मेगा कैंप में 143.36 करोड़ के ऋण में जिले के 100 से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों को 7 करोड़ 87 लाख रुपए, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के तहत 336 हितग्राहियों को 55 करोड़ 54 लाख रुपए, रिटेल के तहत 99 हितग्राहियों को 49 करोड़ 92 लाख, कृषि क्षेत्र के 606 हितग्राहियों को 21 करोड़ 81 लाख रुपए, पीएम मुद्रा में 131 हितग्राहियों को 5 करोड़ 50 लाख रुपए, मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर में 66 हितग्राहियों को 12 लाख रुपए के ऋण-वितरित किए थे। इसमें से कई हितग्राही तक तो राशि नहीं पहुंच पाई।

भास्कर

दै. भास्कर २२/२/२२

नए सिरे से मिलेगी प्रकरणों में स्वीकृति, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के काम से कलेक्टर हुए नाराज

फिर होगी परेशानी: पीएम स्वनिधि के बैंकों से निरस्त डेढ़ हजार प्रकरण फिर से बैंकों में लगेंगे

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पूर्व में बैंक द्वारा निरस्त किए गए लगभग डेढ़ हजार प्रकरण फिर से बैंकों में लगेंगे। उक्त प्रकरणों को नए सिरे से स्वीकृति देने के निर्देश कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा बैंकर्स को दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि पीएम स्वनिधि आम आदमी की भलाई की महत्वकांक्षी योजना है जिसका अधिकाधिक लाभ गरीब वर्ग को दिलाना है। बैंकर्स अनावश्यक रूप से प्रकरणों को निरस्त नहीं कर सकते।

समीक्षा के दौरान कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की विभिन्न शाखाओं द्वारा शासकीय योजनाओं में प्रकरणों की स्वीकृति नहीं देने और राशि वितरण नहीं करने पर सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के चेयरमैन तथा जनरल मैनेजर को पत्र लिखा गया है जिसमें रतलाम जिले की सेंट्रल बैंक आफ इंडिया शाखाओं द्वारा शासकीय योजनाओं में प्रकरणों की स्वीकृति में बरती जा रही उदासीनता की जानकारी देकर कार्रवाई की बात कही है।

54 करोड़ का ऋण देने का लक्ष्य

कलेक्टर ने कहा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया चेयरमैन जब विगत दिनों रतलाम आए थे और उनके द्वारा मंच से जो चेक वितरण किए गए थे, उनकी राशि भी हितग्राहियों के खातों में अब तक नहीं पहुंची है जो अत्यंत खेदजनक है। सेंट्रल बैंक शाखाओं में शासकीय योजनाओं के प्रकरणों की बड़ी संख्या में पेंडेंसी बनी हुई है। बैठक में वर्ष 2022-23 के वार्षिक प्लान का अनुमोदन किया गया। प्लान में 9648 करोड रुपए के ऋण विभिन्न सेक्टर में उपलब्ध कराने का लक्ष्यहै। आगामी 25 फरवरी को जिला मुख्यालय पर रोजगार दिवस के उपलक्ष में आयोजित होने वाले कार्यर म में अधिकाधिक बैंकिंग सहभागिता के संबंध में कलेक्टर ने बैठक में चर्चा की और बैंकर्स को निर्देशित किया। रोजगार दिवस में लगभग 10 हजार हितग्राहियों को 54 करोड़ रुपए बैंक ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। पत्रिका

पत्रिका / २२/२/२२

बच्चों की परीक्षा को देखते हुए एसडीएम को दिए कार्रवाई के निदेश, स्टाप डम का मागी जानकारी

रात में तय समय में बजेगा बैंड, नहीं तो होगी कार्रवाई

रतलाम. स्कूली बच्चों की परीक्षा के दौरान देर रात तक सड़कों पर बैंड बजने के मामले में कलेक्टर ने इस पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर कुमार पुरषोत्तम ने सोमवार को समीक्षा बैठक में निर्देश देते हुए शहर एसडीएम राजेश शुक्ला को निर्देशित किया कि कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं, अनुरूप रात्रि में बैंड बजते पाया जाए तो सख्त कार्रवाई की जाए।

कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी से परीक्षाओं के दौरान निरीक्षण व्यवस्था की जानकारी ली। इसके साथ ही सभी एसडीएम को परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के तहत पीएचई की नल जल योजना की समीक्षा में समीपस्थ ग्राम सेमलिया में योजना क्रियान्वयन की जानकारी दी गई। एसडीएम ने बताया कि ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया है। कलेक्टर ने कहा कि बार-बार निर्देशों के बावजूद ठेकेदार द्वारा संतुष्टिपूर्वक कार्य नहीं किया जा रहा है। समय सीमा का पालन भी नहीं हो रहा है, ठेकेदार के खिलाफ धारा 188 में एफआईआर दर्ज करा दी जाए। पत्रिका

अनाधिकृत कॉलोनाइजर पर होगी एफआईआर- निगमायुक्त सोमनाथ झारिया से शहर में अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण प्रक्रिया की जानकारी ली। अनाधिकृत कॉलोनाइजर पर एफआईआर कराई जाएगी। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि नियमित रूप से समीक्षा के साथ ही प्रतिदिन प्रातः भ्रमण करके सफाई व्यवस्था का जायजा लेवे। रतलाम शहर में नगर निगम के अलावा भी अन्य विभागों के अधिकारियों को नोडल बनाकर सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग की जाएगी।

पत्रिका / २२/२/२२

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च को

प्रसारण न्यूज़ * रतलाम

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली (नालसा) एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार दिनांक 12 मार्च 2022 (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत का आयोजन देश/प्रदेश के साथ ही जिला न्यायालय रतलाम एवं तहसील न्यायालय जावरा, सैलाना, आलोट में किया जावेगा।

उक्त नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु राजेश कुमार गुप्ता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जि.वि.से.प्रा. रतलाम के द्वारा समस्त न्यायाधीशगण के साथ बैठक कर उन्हें अधिक से अधिक प्रकरणों को चिन्हित कर उन्हें निराकृत करने हेतु दिशा निर्देश प्रदान किये गये। उक्त लोक अदालत की तैयारी हेतु अन्य विभागो जैसे बैंक अधिकारीगण की बैठक 22 फरवरी को आहूत की गई है। मोटर क्लेम प्रकरणों हेतु बीमा कंपनियों तथा उनके व आवेदकगण के अधिवक्तागण की बैठक 21 फरवरी एवं 28 फरवरी को आहूत की गई है। नगर पालिका निगम रतलाम तथा अन्य विभागों के साथ 22 फरवरी को बैठक आहूत की गई है।

लोक अदालत में शमनीय प्रकृति के आपराधिक प्रकरण, सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, चेक अनादरण प्रकरण, भरण पोषण एवं वैवाहिक विवादों से संबंधित शमनीय प्रकरण, विद्युत चोरी के प्रकरण तथा संपत्तिकर, जलकर, एवं बैंक व अन्य विभागों के बकाया राशि के वसूली प्रकरणों का राजीनाम के आधार पर निराकरण किया जावेगा। जिनमें विभिन्न विभागों द्वारा शासन के दिशा निर्देशानुसार वसूली राशि में छूट भी प्रदान की जावेगी। प्रसार०

प्रसारण 22/2/22

12 मार्च को लगेगी नेशनल लोक अदालत

रतलाम। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली (नालसा) एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 12 मार्च 2022 (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत का आयोजन देश/प्रदेश के साथ ही जिला न्यायालय रतलाम एवं तहसील न्यायालय जावरा, सैलाना, आलोट में किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु राजेश कुमार गुप्ता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जि.वि.से.प्रा. रतलाम के द्वारा समस्त न्यायाधीशगण के साथ बैठक कर उन्हें अधिक से अधिक प्रकरणों को चिन्हित कर उन्हें निराकृत करने हेतु दिशा निर्देश प्रदान किये गये। लोक अदालत की तैयारी हेतु अन्य विभागो जैसे बैंक अधिकारीगण की बैठक आज आयोजित की गई है। जिसमें मोटर क्लेम प्रकरणों हेतु बीमा कंपनियों तथा उनके व आवेदकगण के अधिवक्तागण की बैठक दिनांक 21 फरवरी एवं 28 फरवरी को होगी।

लोक अदालत में शमनीय प्रकृति के आपराधिक प्रकरण, सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, चेक अनादरण प्रकरण, भरण पोषण एवं वैवाहिक विवादों से संबंधित शमनीय प्रकरण, विद्युत चोरी के प्रकरण तथा संपत्तिकर, जलकर, एवं बैंक व अन्य विभागों के बकाया राशि के वसूली प्रकरणों का राजीनाम के आधार पर निराकरण किया जावेगा। जिनमें विभिन्न विभागों द्वारा शासन के दिशा निर्देशानुसार वसूली राशि में छूट भी प्रदान की जावेगी।

राजएक्सप्रेस 22/2/22

नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण कराएं

रतलाम। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च को जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय जावरा, सैलाना व आलोट में किया जाएगा। प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला प्रधान न्यायाधीश राजेशकुमार गुप्ता ने सभी न्यायाधीशों की बैठक लेकर निर्देशित किया कि अधिक से अधिक प्रकरणों को चिंहित कर नेशनल लोक अदालत में निराकरण कराएं। लोक अदालत में शमनीय प्रकृति के आपराधिक प्रकरण, सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, चेक अनादरण, बिजली चोरी, भरण पोषण एवं वैवाहिक विवादों से संबंधित शमनीय प्रकरण का निराकरण किया जाएगा।

नईदुनिया 22/2/22

गंगासागर में भू-माफिया से वापस लेंगे भूमि

कार्रवाई ● कालिकामाता मंदिर ट्रस्ट की जमीन से सरकारी अमले ने हटाया अतिक्रमण

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। जिले अपराधियों, भू-माफियाओं, असामाजिक तत्वों पर गत छह माह से की जा रही कार्रवाई थोड़ा थमने के बाद अब फिर से शुरू हो गई है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया है कि अवैध निर्माण तोड़ने व माफिया तत्वों की संपत्ति को ध्वस्त करने के लिए चिहांकन सतत जारी रखें।

मुहिम में प्रशासन द्वारा नशे का व्यापार करने वाले, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में लिप्त, आम आदमी की जमीन पर कब्जा करने वाले गुंडों, सूदखोरों आदि के अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। गंगासागर क्षेत्र में भू-माफिया द्वारा नगर निगम की लगभग चार हेक्टेयर भूमि अपने नाम करा ली गई है। शिकायत पर अब जांच के आदेश कलेक्टर द्वारा दिए गए हैं। कार्रवाई के साथ उक्त भूमि पुनः नगर निगम के नाम की जाएगी। यहां निगम की भूमि पर मकान भी बन गए हैं। इधर, सोमवार को कालिका माता मंदिर ट्रस्ट की आनंद कालोनी मार्ग से लगी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। कालिका माता मंदिर ट्रस्ट की सर्वे नंबर 402 की 0.250 हेक्टेयर भूमि में से अख्तर व अनीस पुत्र रसूल खान द्वारा 2400 वर्गफीट पर मकान व 150 वर्गफीट जमीन पर दुकान बना ली थी। तहसील न्यायालय से 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड करने के बाद बेदखली नोटिस जारी कर 18 फरवरी तक अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे। अतिक्रमण नहीं हटाने पर सोमवार को तहसीलदार गोपाल सोनी की मौजूदगी में जेसीबी से निर्माण तोड़कर भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई। इस दौरान राजस्व निरीक्षक मेहरबानसिंह, तरुण रघुवंशी, शुभम तिवारी, पटवारी रमेश बैरागी, अर्जुन गौड़, शिखा चतुर्वेदी, मांगीलाल खराड़ी मौजूद रहे। जमीन पर दोबारा अतिक्रमण नहीं हो इसके लिए प्रशासन ने फेंसिंग करवाने के निर्देश दिए हैं।

कालिका माता मंदिर ट्रस्ट की आनंद कालोनी मार्ग से अतिक्रमण हटाया गया। ● नईदुनिया

छह माह में माफियाओं के 247 अवैध निर्माण तोड़े

जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई में अपराधिक तत्वों, भू माफियाओं तथ अन्य माफियाओं के 247 मकान दुकान या अन्य प्रकार की संरचनाओं को तोड़ गया है। रतलाम शहर से लेकर आलोट जावरा, रतलाम ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रू से बड़ी कार्रवाइयां की गई है जिनमें ग्राम ढोढर में 106 अवैध दुकानों को तोड़क अतिक्रमण हटाया गया था। गत दिन रतलाम शहर में भी अपराधिक तत्वों के दुकानों को ध्वस्त किया गया।

नईदुनिया २२/२/२२

कार्रवाई • शिकायतों का वेरिफ़िकेशन करवा रहा प्रशासन, सभी प्लॉटों का अवैध कब्जा हटेगा

कालिका माता मंदिर की 4950 फीट जमीन से दो भाइयों का कब्जा हटाया, तीसरे का भी हटाएंगे

भास्कर संवाददाता | रतलाम

आनंद कॉलोनी रोड पीएचई ऑफिस के सामने वाली श्री कालिकामाता मंदिर की जमीन का अवैध कब्जा ढहना शुरू हो गया है। सोमवार को सरकारी अमले ने अख्तर पिता रसूल और अनीस पिता रसूल का 4950 वर्गफीट का अतिक्रमण तोड़ा। कब्जाई जमीन पर दोनों ने 4800 वर्गफीट पर पक्का मकान और 150 वर्गफीट पर दुकान बना ली थी। तीसरा भाई रईस पिता रसूल इनके पास वाली कालिका माता मंदिर की 2400 वर्गफीट पर कब्जा जमाए बैठा है। कोर्ट केस के बाद रईस का अतिक्रमण टूटेगा।

श्री कालिकामाता मंदिर की 0.250 बीघा जमीन को मुक्त कराने की कार्रवाई नवंबर में शुरू हुई थी। अतिक्रमणकर्ता रईस पिता रसूल, अख्तर पिता रसूल, अनीस पिता रसूल को नोटिस दिए थे। मामला कोर्ट में जाने से मामला टल रहा था। इसके अलावा शहर के आठ और प्लॉटों की शिकायतें प्रशासन तक पहुंची है। जांच शुरू हो गई है, फिलहाल वेरिफिकेशन चल रहा है। इसके निपटते ही प्लॉटों पर कब्जा जमाकर बैठे भूमाफिया को खदेड़ा जाएगा। **इन क्षेत्रों के प्लॉटों पर अवैध कब्जे की जांच करवा रहा प्रशासन** • शेरानीपुरा • विरियाखेड़ी • खाचरौद रोड • नयागांव • सागोद रोड • अशोक नगर • सैलाना रोड।

सख्ती : आठ और प्लॉटों पर अवैध कब्जे की जांच शुरू

कालिका माता मदिर की जमीन पर किया गया अतिक्रमण तोड़ता निगम का अमला।

50 करोड़ रुपए की जमीन फिर नगर निगम के नाम होगी

गंगासागर कॉलोनी के पास हथियाई गई 50 करोड़ रुपए की जमीन वापस नगर निगम के नाम होगी। भूमाफिया ने नगर निगम की 4 हेक्टेयर भूमि अपने नाम करा ली थी। कलेक्टर ने जांच करवाई थी। इसके बाद विधिवत कार्रवाई कर भूमि फिर से निगम के नाम की जाएगी।

सात दिन का समय दिया था फिर हटाया

सुनवाई के बाद कालिका माता मंदिर की जमीन कब्जाने वाले अनीस और अख्तर को प्रशासन ने 11 फरवरी को आदेश जारी कर सात दिन में अतिक्रमण हटाने को कहा था। बावजूद दोनों ने कब्जा नहीं छोड़ा। सोमवार सुबह तहसीलदार गोपाल सोनी एक्शन में आए। नगर निगम इंजीनियर मनीष तिवारी अतिक्रमण हटाओ दस्ता लेकर पहुंचे और सुबह 11 बजे हथोड़े और जेसीबी चलाना शुरू कर दी। 12 बजे तक चली कार्रवाई में कच्चा-पक्का अतिक्रमण हटने के बाद जमीन मैदान में तब्दील हो गई थी। कार्रवाई कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के आदेश पर की गई।

इधर, भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई ठंडी

सरकारी जमीनों के अतिक्रमणकारियों को तो प्रशासन खदेड़ा रहा लेकिन भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई ठंडी है। दिसंबर के बाद से अब तक अवैध प्लॉटिंग करने वाले किसी बड़े भूमाफिया पर सरकारी अमला कार्रवाई नहीं कर पाया है। सागोद रोड जयंत सेन धाम मंदिर के पीछे बिना अनुमति सीमेंट कांक्रीट की सड़क बनाकर काटी गई बड़े भूखंड वाली कॉटेज कॉलोनी की प्रशासन जांच करवा चुका है। ईंटावामाता रोड बिजासन मंदिर के सामने इसी तरह खेत में सीसी रोड बनाकर प्लॉट बेचे जा रहे हैं। उसके जमीनदारों को तो प्रशासन अब तक नोटिस तक नहीं दे पाया है। ऐसे में अक्टूबर-नवंबर में ९ अवैध कॉलोनियों पर ताबड़तोड़ बुलडोजर चलवाने वाले अफसरों अंगुलियां उठने लगी हैं।

भास्कर

दै.भास्कर २२/२/२२

रात्रि में बैंड बजते पाए गए तो होगी सख्त कारवाई

रतलाम। समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में सोमवार को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने शहर एसडीएम राजेश शुक्ला को निर्देशित किया कि कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं, उस अनुरूप रात्रि में बैंड बजते पाया जाए तो सख्त कारवाई की जाए। बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं

▶ कलेक्टर ने समय सीमा पत्रों की बैठक में दिए निर्देश

अत: उनकी पढ़ाई के दृष्टिगत निर्धारित समय सीमा में ही बैंडवादन होगा। बैठक में अपर कलेक्टर एमएल आर्य, सीईओ जिला पंचायत जमुना भिड़े, संयुक्त कलेक्टर अभिषेक गहलोत, एसडीएम ग्रामीण कृतिका भीमावद, निगमायुक्त सोमनाथ झारिया आदि अधिकारी उपस्थित थे।

जिला शिक्षा अधिकारी से परीक्षाओं के दौरान निरीक्षण व्यवस्था की जानकारी ली गई। सभी एसडीएम को परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण के निर्देश दिए गए। जल जीवन मिशन के तहत पीएचई की नल जल योजना की समीक्षा में समीपस्थ ग्राम सेमलिया में योजना क्रियान्वयन की जानकारी दी गई। एसडीएम ने बताया कि ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया है। कलेक्टर ने कहा कि बार-बार निर्देशों के बावजूद ठेकेदार द्वारा संतुष्टिपूर्वक कार्य नहीं किया जा रहा है। समय सीमा का पालन भी नहीं हो रहा है, ठेकेदार के विरुद्ध धारा 188 एफआईआर दर्ज करा दी जाए। निगमायुक्त श्री झारिया से शहर में अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण प्रक्रिया की जानकारी ली गई। निगमायुक्त ने बताया कि अनाधिकृत कॉलोनाइजर पर एफआईआर कराई जाएगी।

स्वच्छता अभियान की समीक्षा में कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि नियमित रूप से समीक्षा के साथ ही प्रतिदिन प्रात: भ्रमण करके सफाई व्यवस्था का जायजा लेवे। रतलाम शहर में नगर निगम के अलावा भी अन्य विभागों के अधिकारियों को नोडल बनाकर सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग की जाएगी। आयुष्मान कार्ड निर्माण, किसानों के खातों में राहत राशि अंतरण, कोविड-टीकाकरण, सीएम हेल्पलाइन की भी समीक्षा की गई। सीएम हेल्पलाइन में नगर निगम को प्रथम स्थान प्राप्त करने पर कलेक्टर द्वारा निगमायुक्त को बधाई भी दी गई। यह भी पाया गया कि जनजातीय कार्य विभाग, कृषि विभाग तथा वित्त विभाग द्वारा सीएम हेल्पलाइन में खराब कार्य किया गया है। कार्य सुधारने की चेतावनी संबंधित अधिकारियों को कलेक्टर द्वारा दी गई। बैंकों में लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायत के संबंध में कलेक्टर ने कहा कि संबंधित बैंकों के जनरल मैनेजर को पत्र भेजा जाएगा कि आपकी बैंक शाखा के कारण आमजन के कार्य नहीं हो पा रहे और शासन की छवि प्रभावित हो रही है।

सीएम हेल्पलाइन में खाद्य आपूर्ति विभाग के बेहतर प्रदर्शन की भी कलेक्टर द्वारा सराहना की गई। बताया गया कि मात्र .03 अंक की कमी से इस बार सीएम हेल्पलाइन में रतलाम जिला टॉप फाइव में नहीं आ सका। आयुष्मान कार्ड बनाने के संबंध में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि रतलाम शहर में वार्डवार कैंप लगाएं तथा रविवार को मेगा कैंप लगाया जाए। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा बताया गया कि जिले में स्टॉपडेम मरम्मत के कार्य किए जाने के तहत अब तक 155 स्टॉपडेम मरम्मत आरंभ कर दी गई है। शत-प्रतिशत स्टॉपडेम मरम्मत कार्य आगामी 15 अप्रैल तक पूर्ण कर दिया जाएगा।

कलेक्टर ने 22 फरवरी को शासकीय आईटीआई परिसर रतलाम में आयोजित होने वाले रोजगार मेले की तैयारियों की समीक्षा की। बताया गया कि 26 कंपनियां रोजगार मेले में सम्मिलित हो रही है जो विभिन्न पदों पर युवाओं का चयन करके रोजगार का अवसर प्रदान करेंगी। नवभारत

नवभारत २२/२/२२

स्वच्छ भारत मिशन के कार्य को किस तरह से और बेहतर किया जा सके, लिए टेक्निकल सुझाव

सिंघम रिपोर्टर □ रतलाम

स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत रतलाम नगर पालिक निगम में शहरवासियों से, गैर सरकारी संगठनों से एवं अन्य सभी लोगों से स्वच्छ भारत मिशन के कार्य को किस तरह से और बेहतर किया जा सकता है, इसके लिए टेक्निकल सुझाव मांगे गए थे।

ईद चैलेंज का सोशल मीडिया के द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार किया गया, साथ ही शहर के कॉलेजों में भी जाकर विद्यार्थियों को इसमे भाग लेने के लिये प्रेरित किया गया, जिसमे कुल 10 प्रतिभागियों अपनी रुचि दिखाते हुए अपने सुझाव भेजे। जिनमें से 2 सुझावों को क्रमशः 1.द ग्रोइंग इंडिया फाउंडेशन एवं दूसरा सुझाव दीपिका पटेल द्वारा दिया गया था, इन्हें निगम द्वारा गठित कमिटी ने चुना। इन दोनों प्रतिभागियों ने निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अपने सुझावों को किस तरह ज़मीनी स्तर तक पहुंचाया जा सकता है, इसके बारे में शहरवासियों को समझाया एवं साथ ही निगम ने इन सुझावों को आगे बढ़ाने के लिए इन प्रतिभागियों की तमाम निवेशकों के साथ बैठक आयोजित की एवं इन्हें और ज़्यादा कुशल एवं प्रभावी बनाने के लिये पूरा समर्थन दिया।

सिंघम - २१/२/२२

कलेक्टर ने एसडीएम को फिर दिए कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई के निर्देश

रात में अगर बैंड बजता पाया जाए तो तुरंत कार्रवाई करें

रतलाम » दबंग रिपोर्टर

रात में अगर बैंड बजते पाया जाए तो सख्त कार्रवाई की जाए। बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं। अतः उनकी पढ़ाई के लिए समय सीमा में ही बैंडवादन होगा। यह निर्देश कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में सोमवार को दिए। कलेक्टर ने एसडीएम राजेश शुक्ला को निर्देशित किया कि कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश का पालन सख्ती के साथ करना सुनिश्चित किया जाए।

जिला शिक्षा अधिकारी से परीक्षाओं के दौरान निरीक्षण व्यवस्था की जानकारी ली गई। सभी एसडीएम को परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण के निर्देश दिए गए। जल जीवन मिशन के तहत पीएचई की नल जल योजना की समीक्षा में समीपस्थ ग्राम सेमलिया में योजना क्रियान्वयन की जानकारी दी गई। एसडीएम ने बताया कि ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया है। कलेक्टर ने कहा कि बार-बार निर्देशों के बावजूद ठेकेदार द्वारा संतुष्टिपूर्वक कार्य नहीं किया जा रहा है। समय सीमा का पालन भी नहीं हो रहा है, ठेकेदार के विरुद्ध धारा 188 एफआईआर दर्ज करा दी जाए। निगमायुक्त श्री झारिया से शहर में अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण प्रक्रिया की जानकारी ली गई। निगमायुक्त ने बताया कि अनाधिकृत कॉलोनाइजर पर एफआईआर कराई जाएगी।

स्वच्छता अभियान की समीक्षा में कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि नियमित रूप से समीक्षा के साथ ही प्रतिदिन प्रातः भ्रमण करके सफाई व्यवस्था का जायजा ले। आयुष्मान कार्ड निर्माण, किसानों के खातों में राहत राशि अंतरण, कोविड-टीकाकरण, सीएम हेल्पलाइन की भी समीक्षा की गई।

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा बताया गया कि जिले में स्टॉपडेम मरम्मत के कार्य किए जाने के तहत अब तक 155 स्टॉपडेम मरम्मत आरंभ कर दी गई है। शत-प्रतिशत स्टॉपडेम मरम्मत कार्य आगामी 15 अप्रैल तक पूर्ण कर दिया जाएगा।

सीएम हेल्पलाइन में खराब काम करने वालों को चेतावनी

सीएम हेल्पलाइन में नगर निगम को प्रथम स्थान प्राप्त करने पर कलेक्टर द्वारा निगमायुक्त को बधाई भी दी गई। यह भी पाया गया कि जनजातीय कार्य विभाग, कृषि विभाग तथा वित्त विभाग द्वारा सीएम हेल्पलाइन में खराब कार्य किया गया है। सीएम हेल्पलाइन में खाद्य आपूर्ति विभाग के बेहतर प्रदर्शन की भी कलेक्टर द्वारा सराहना की गई। सीएम हेल्पलाइन में रतलाम जिला टॉप फाइव में नहीं आ सका। कलेक्टर ने 22 फरवरी को शासकीय आईटीआई परिसर रतलाम में आयोजित होने वाले रोजगार मेले की तैयारियों की समीक्षा की। बताया गया कि 26 कंपनियां रोजगार मेले में सम्मिलित हो रही है जो विभिन्न पदों पर युवाओं का चयन करके रोजगार का अवसर प्रदान करेंगी।

सीएम हेल्पलाइन शिकायत निराकरण में रतलाम निगम प्रदेश में दूसरी

रतलाम। नगर निगम से संबंधित सीएम हेल्प लाईन पर नागरिकों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों के निराकरण में रतलाम नगर निगम को प्रदेश में लगातार दूसरी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।

सीएम हेल्प लाईन में दर्ज शिकायतों के निराकरण के तहत नगर निगम रतलाम 716 निराकरण में संतुष्टि के साथ बंद हुई शिकायतों का वेटेज 47.28 (50 फीसदी) रहा। 100 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों का वेटेज 9.33 (10 फीसदी) रहा। निम्न गुणवत्ता से बंद का वेटेज 9.66, अटेंड नहीं की गई शिकायतों का वेटेज 10, मान्य/अमान्य शिकायतों का वेटेज 10, लंबित शिकायतों की संख्या में कमी का वेटेज 7.5 रहा। रतलाम का कुल वेटेज स्कोर 93.77 प्राप्त कर प्रदेश में नम्बर 1 बना। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों को बधाई दी है।

दबंग

दबंग दुनिया 22/2/22

अवैध निर्माण पर प्रशासन का पंजा, आनंद कॉलोनी के सामने लॉ कॉलेज की भूमि को कराया मुक्त

कालिका माता की सवा बीघा भूमि मुक्त कराई

पत्रिका सिटी हैपनिंग

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. शहर में अवैध निर्माण और कब्जों पर प्रशासन का पंजा सोमवार को फिर चल गया। इस बार उक्त कार्रवाई के दौरान कालिका माता ट्रस्ट की करीब सवा बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। इसके लिए प्रशासन की टीम सुबह दल-बल के साथ आनंद कॉलोनी क्षेत्र में लॉ कॉलेज के सामने पहुंची और यहां वर्षों से कब्जा कर बैठे लोगों को हटाकर उनके निर्माण को धराशायी कर दिया। हालाकि नोटिस मिलने के बाद से कब्जेधारी द्वारा भी अपना कब्जा हटाना शुरू कर दिया गया था जिसे प्रशासन के अमले ने एक बार में पूरा गिरा दिया।

प्रशासन की माने तो कालिका माता मंदिर की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 402 में रकबा 0.250 हेक्टयर भूमि मौके स्थित है। उक्त भूमि में से 60 बाय 80 वर्ग फीट पर अख्तर व अनीस पिता रसूल खान के द्वारा कब्जा कर मकान बनाया हुआ था। 10 बाय 15 फीट भूमि पर दुकान बनाकर कब्जा कर रखा था। कब्जेधारी को कब्जा खाली करने के निर्देश भी दिए गए थे लेकिन जब उसने प्रशासन की बात नही मानी तो सोमवार को पूरी टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई को अंजाम दे आई।

दस-दस हजार का जुर्माना किया

प्रशासन की टीम द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने वालों के खिलाफ बेदखली के आदेश भी जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त इन पर दस-दस हजार रुपए का अर्थदंड भी किया गया था लेकिन इनके द्वारा कब्जा नही हटाया गया। प्रशासन द्वारा हालही में 18 फरवरी को संबंधितों को फिर से नोटिस जारी कर कब्जा खाली करने के निर्देश दिए थे लेकिन उस पर उनके द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद सोमवार को प्रशासन की टीम और पुलिस बल मौके पर पहुंचा और फिर कब्जा गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई जो कि चंद घंटे में पूरी भी हो गई है।

तीन आरआई और चार पटवारियों की थी टीम

कब्जा हटाए जाने की कार्रवाई के लिए तहसीलदार गोपाल सोनी के द्वारा राजस्व से जुड़े सात अधिकारियों की टीम बनाई गई थी। इसमें तीन राजस्व निरीक्षकों को शामिल किया गया था। इनके साथ ही चार पटवारियों को भी शामिल किया गया। उसके बाद तहसीलदार ने मौके पर खड़े रहकर उक्त कार्रवाई को अंजाम दिलाया। कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अमले के साथ ही नगर निगम और पुलिस का अमला भी मौजूद रहा।

पत्रिका / २२/२/२२

फिर भी आ गए सीएम हेल्पलाइन में प्रदेश में नंबर एक पर

716 में से 338 शिकायत का समाधान नहीं

पत्रिका डेटा डिकोडेड

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. शहर की नगर निगम ने प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन के मामले में लगातार दूसरी बार पहला स्थान बनाया है। आकंड़ों की बाजीगरी कर भले पहला नंबर पा लिया हो, लेकिन हकीकत यह है कि कुल 716 शिकायत में से 338 शिकायत पर कार्रवाई ही नहीं की गई। इतना ही नहीं, 72 शिकायत तो ऐसी है जिन को किसी अधिकारी ने हल करना तो दूर, देखना भी जरूरी नहीं समझा है।

शहर के कलाईगर रोड निवासी आयशा राठौर ने डेढ़ माह पूर्व उनके क्षेत्र के गंदे नाले के पानी की निकासी को बेहतर करने में असमर्थ नगर निगम की शिकातय की थी। करीब 48 दिन पूर्व हुई इस शिकायत के बाद नाले के गंदे पानी का स्तर तो बढ़ता चला गया, लेकिन समाधान के मामले में अब तक कुछ नहीं हुआ। कुछ इसी प्रकार की शिकातय अलकापुरी क्षेत्र के एक वृद्ध रहवासी ने की। उनके अनुसार तीन माह से उनके क्षेत्र में सफाई करने कोई कर्मचारी नहीं आया। मोहल्ले के रहवासी ही सफाई कर रहे हैं। शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर की अधिकारी चाहते है कि शिकायत वापस ले ली जाए।

सिर्फ लेवल बढ़ता जा रहा

नगर निगम को 716 शिकायत सीएम हेल्पलाइन में मिली। इनमे से 47.28 प्रतिशत शिकायत को सुना गया। मतलब साफ है कि 52.72 प्रतिशत याने की 338 शिकायत अब तक समाधान की आस में है। इसके बाद भी नगर निगम सीएम हेल्पलाइन समाधान में नंबर एक पर है तो काम करने के तरीके का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे में निगम में सीएम हेल्पलाइन पर मिलने वाली शिकायत का लेवल बढ़ता जा रहा है। पत्रिका

कुल शिकायत मिली	716
समाधान का इंतजार	338
100 दिन में समाधान	9.33%
कुल बंद करवाई	9.66%
शिकायत में कमी	7.5%
कुल वेटेज स्कोर ए ग्रेड	93.77

बेहतर काम पर मिला

सीएम शिकायत समाधान में लगातार दूसरे माह ए ग्रेड बेहतर काम के चलते मिली है। इसको और बेहतर करने के लिए प्रयास जारी है। - **विकास सोलंकी**, उपायुक्त नगर निगम

पत्रिका २२/२/२२